

पत्रांक-श्रमकंस-28/2025(अंश)-560

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 03 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार रूपए) तथा दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 6,00,000/- (छः लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 7,50,000 /- (सात लाख पचास हजार रूपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 06 मृतकों/दावेदारों/कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र. सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०, | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता/ मोबाईल नं० | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि | मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० तामा देवी, 37, बीरेन्द्र महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | बीरेन्द्र महतो (पति) 334059696 762 | 918 06.09.2025 | ग्राम-कोलहुआँ श्रीरामपुर, पो०-कोलहुआँ, थाना-प्र०-माझागढ़, जिला-गोपालगंज मो०-7781913615 | 1005 3310 3004 1370 | UBGB PUNB OMBG B06 | रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, खतिहर मजदूर |
| 2 | स्व० कुदरत अंसारी, 59, मोनाक हुसन, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | जरीना खातून (पत्नी) 697875703 495 | 924 06.09.2025 | ग्राम-बनकटी सुकुल टोला, पो०-महुआ, थाना-प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज मो०-7542880560 | 1005 2810 3000 8236 | UBGB PUNB OMBG B06 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वामाविक मृत्यु, खतिहर मजदूर |
| 3 | स्व० इरशाद अली, 24, इकबाल अहमद, पिछड़ा वर्ग | जमीला खातून (माता) 333050857 999 | 925 06.09.2025 | ग्राम-इन्दरवाँ शाकिर, पो०-धावे, थाना-गोपालगंज, प्र०-धावे, जिला-गोपालगंज मो०-7543828069 | 1005 4710 3002 4779 | UBGB PUNB OMBG B06 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वामाविक मृत्यु, नाईगिरि का कार्य |
| 4 | स्व० पिन्दू कुमार, 28, श्री धूपनाथ साह, पिछड़ा वर्ग | अनु देवी (पत्नी) 983014428 748 | 975 17.09.2025 | ग्राम-नया टोला पिपरा, पो०-उसरी बाजार, थाना-प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज 8651194836 | 1006 3110 3011 7747 | UBGB PUNB OMBG B06 | रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य |
| 5 | स्व० कृष्णा ठाकुर, 32, स्व० सुदर्शन ठाकुर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | प्रियंका कुमारी (पत्नी) 859700136 207 | 979 17.09.2025 | ग्राम-खजूहटी, पो०-सबलि, थाना-प्र०-बैकुण्ठपुर, जिला-गोपालगंज 8566830475 | 1005 0410 3032 4152 | UBGB PUNB OMBG B06 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वामाविक मृत्यु, नाईगिरि एवं खतिहर मजदूर |
| 6 | स्व० मुन्ना महतो, 40, राजेन्द्र महतो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग | कवूतरी देवी (माता) 69011220 2014 | 1117, 25.11. 2025 | ग्राम-पो०-कोईनी, थाना-प्र०-माझा जिला-गोपालगंज मो०-9973502925 | 1005 2710 1000 2901 | UBGB PUNB OMBG B06 | 2,00,000 /- (दो लाख रूपए) | दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर |

कुल रू० 7,50,000 /-
(सात लाख पचास हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
5. पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक-162, दिनांक- 09.02.2026 के क्रमांक-06, 10, 11, 23, 26, एवं 33 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-28/2025 (अंश)-560

पटना, दिनांक :- 15/05/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल:- **रु० 7,50,000 /-** (सात लाख पचास हजार रूपए) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, सारण / श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग।

Signed by Rohit Kumar
Date: 15-05-2026 16:53:28
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Signed by Rajesh Bharti
Date: 18-05-2026 11:49:07
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक।